

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रे.नो./38/2018

दिनांक: 21 मई, 2018

## प्रेस नोट

### भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों/निर्वाचन आयुक्तों के साथ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन

भारत निर्वाचन आयोग ने आज पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों/निर्वाचन आयुक्तों के साथ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। परामर्श बैठक में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री एम.एस.गिल, श्री जे.एम.लिंगदोह, श्री टी.एस.कृष्णामूर्ति, श्री बी.बी.टंडन, डॉ.एस.वाई.कुरैशी, श्री वी.एस.सम्पत, श्री एच.एस.ब्रह्मा, डॉ.नसीम जैदी और पूर्व निर्वाचन आयुक्त श्री जी.वी.जी कृष्णामूर्ति उपस्थित थे।



मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी.रावत, निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और श्री अशोक लवासा ने उपस्थित सभी पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों/निर्वाचन आयुक्तों का स्वागत किया। आमंत्रितों ने इस पहल के लिए आयोग की प्रशंसा की और आशा व्यक्त की कि ऐसे परामर्श एक नियमित रूप से होते रहेंगे।



निर्वाचन प्रबंधन के निम्नलिखित पहलुओं पर विचार-विमर्श केन्द्रित रहा:

- यह नोट किया गया कि ईवीएम/वीवीपीएटी का सार्वभौमिक उपयोग एक प्रशंसनीय कदम है। यह राय दी गई कि सभी मतदाताओं को जागरूकता कार्यक्रमों के लाभों के बारे में शिक्षित करने हेतु इनका विस्तार किया जाना चाहिए। इससे इसके प्रयोग के बारे में किसी भी प्रकार के मतभेद को दूर करने में मदद मिलेगी।
- यह पाया गया कि प्रचार अभियान के दौरान द्वेषपूर्ण भाषणों का प्रयोग किया जाता है जो राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित करता है। व्यापक जनहित में ऐसे भाषणों को नियंत्रित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।
- इस बात पर विचार किया गया कि मतदान की अवधि का विश्लेषण किया जाए ताकि मतदान के अधिक चरण कम किए जा सकें। यह पाया गया कि चरणों की कम संख्या होने पर आदर्श आचार संहिता की अवधि कम होगी, जिसका निर्वाचनों के विभिन्न चरणों पर प्रभाव पड़ता है।
- ईआरओ नेट की काफी प्रशंसा की गई। तथापि, अन्य सफल लोकतांत्रिक देशों में मतदाता पंजीकरण के माडलों का अनुसरण करके मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाया जा सकता है।

बैठक के दौरान, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त, श्री उमेश सिन्हा ने आयोग द्वारा की गई नई पहल जैसे निर्वाचक साक्षरता क्लब, ईआरओ नेट, आरओ नेट, शिकायत निवारण प्रणाली आदि के बारे में भी जानकारी दी।

**(पवन दीवान)**

अवर सचिव